

शोर रीहेबिलिएशन इंस्टिट्यूट
वित्तीय सहायता पॉलिसी - सरल भाषा सारांश

शोर रीहेबिलिएशन इंस्टिट्यूट की वित्तीय सहायता पॉलिसी उन रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मौजूद है जिन्हें स्वास्थ्य देखभाल की जरूरत है और बीमा नहीं है, पर्याप्त बीमा नहीं, या अन्य सरकारी सहायता के अयोग्य हैं या अन्यथा उनकी व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति के आधार पर चिकित्सकीय रूप से आवश्यक सेवाओं के लिए भुगतान करने में असमर्थ हैं। वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक रोगियों को इस प्रोग्राम के लिए आवेदन करना चाहिए जिसका सारांश यहां दिया गया है।

योग्य सेवाएं: वित्तीय सहायता केवल चिकित्सकीय रूप से आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए उपलब्ध है।

शोर रीहेबिलिएशन इंस्टिट्यूट इकाईयों में प्रदान की जाने वाली सभी सेवाएं FAP के अंतर्गत कवर नहीं की जाती हैं। विभिन्न सेवाएं जो अन्य प्रदाताओं द्वारा जिनका अलग से बिल दिया है कवर नहीं की जा सकती हैं। कृपया प्रदाताओं की सूची के लिए SRI की FAP के परिशिष्ट A का संदर्भ देखें जो स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करते हैं और FAP के अंतर्गत कवर हैं।

कम्पैशनेट केयर प्रोग्राम

SRI कम्पैशनेट केयर प्रोग्राम उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जिन्हें स्वास्थ्य देखभाल की जरूरत है और बगैर बीमा हैं, या अन्यथा चिकित्सकीय रूप से आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल के लिए भुगतान करने में असमर्थ हैं।

यदि एक रोगी के पास कोई भी बीमा कवरेज नहीं है तो उन्हें "कोई बीमा नहीं प्रमाणन" पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाएगा। इसके अतिरिक्त, यह व्याख्या की जाएगी कि यदि बाद में उन्हें बीमा उपलब्ध करवाया जाएगा तो यह सेवा के उन दिनों के लिए बिल नहीं किया जाएगा जो कम्पैशनेट केयर के अंतर्गत पहले ही की गई हैं क्योंकि रेफरल और/या पूर्व प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किए गए होंगे और/या समय पर फाइल करने की सीमाएं गुजर गई होंगी। सेवा के लिए भविष्य की तारीखों के लिए सभी रेफरल और/या पूर्व प्रमाणपत्र बीमा शर्तें उपचार जारी करने से पहले पूरी करनी होंगी।

जब एक रोगी बीमा कवरेज उपलब्ध करवता है परंतु सत्यापन दर्शाता है कि लाभ समाप्त हो चुके हैं या प्रदान की जाने वाली सेवा(ओं) के लिए कोई लाभ नहीं है तो उन्हें एक "नॉन-कवरेज नोटिस" पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाएगा जो कवरेज नहीं होने के कारणों और व्यक्तिगत जिम्मेदारी की स्वीकार्यता को दर्शाएगा। रोगियों को तब कवर-नहीं की गई सेवाओं के लिए कम्पैशनेट केयर प्रोग्राम की पेशकश की जाएगी।

यदि रोगी बीमाकर्ता को बिल करने का अरोध करता है जबकि जानकारी है कि वह सेवा उनके वर्तमान लाभ पैकेज में कवर नहीं की गई है, यह स्पष्ट किया जाएगा कि यदि लाभो का स्पष्टीकरण अस्वीकृति दर्शाता है कि रोगी जिम्मेदार नहीं है, नॉन-कवरेज के पूर्व नोटिफिकेशन के कारण वे व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

FAP, कम्पैशनेट केयर प्रोग्राम के लिए अनुरोध और PLS सभी निम्नलिखित वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं:

<https://www.meridianhealth.com/location/shore-rehabilitation-institute/index.aspx>

वित्तीय सहायता के लिए योग्य समझे गए किसी व्यक्ति को एक अनुकूल निर्धारण के बारे में लिखित रूप से सूचित किया जाएगा। IRC §501(r) के अनुसार SRI यह भी करेगा :

इस FAP के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए योग्य निर्धारित किए गए किसी व्यक्ति से किसी चिकित्सकीय रूप से आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए सामान्यतः बिल की जाने वाली राशियों ("AGB") से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा। किसी FAP-योग्य व्यक्ति से हमेशा AGB से कम या इस FAP के अंतर्गत उपलब्ध किसी छूट से कम शुल्क लिया जाएगा।

अनुवादों की उपलब्धता: FAP, आवेदन और PLS अंग्रेजी में और सीमित अंग्रेजी ज्ञान ("LEP") वाले लोगों की प्राथमिक भाषा में उपलब्ध हैं जो 1,000 व्यक्तियों से कम हैं या SRI द्वारा सेवा किए जाने वाले समुदाय का 5% हैं।

सहायता, मदद या पूछताछ के लिए कृपया कॉल करें :

क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट 732-321-7000 - एक्सटेंशन 66521, या एक्सटेंशन, 62434, या एक्सटेंशन, 66280.